7. कोर्ट-कचहरी और न्याय

तुमने अपने आसपास कई कोर्ट-कचरी के मामलों के बारे मे सुना होगा। ऐसे एकाध किस्से तुम कक्षा में सुनाओ। कचहरियों में कौन-कौन होते हैं और वे क्या-क्या करते हैं, चर्चा करो। इस पाठ के सारे उप शीर्षक एक बार पढ़ो। क्या तुमने इन शब्दों को पहले कभी सुना है - क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते हो?

कल्लूराम और परसूराम का झगड़ा

कल्लूराम और परसूराम के खेत एक दूसरे से लगे हुए थे और दोनों खेतों के बीच मेढ़ थी। एक दिन परसूराम अपनी मेढ़ बना रहा था। उसने छुपके से मेढ़ को कल्लू के खेत में खिसका दिया। यह तीसरा साल था जब परसू ने इस तरह मेढ़ खिसकाई थी। कल्लू को पता भी नहीं चला था और मेढ़ एक हाथ खिसक चुकी थी।

जब कल्लू आपने खेत बखरने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे याद था कि उसका बक्खर बिजली के खम्भे के आगे तक चलता था। लेकिन यह क्या? अब तो एक हाथ पहले ही रुक जाता है। उसे यकीन हो गया कि परसू ने मेढ़ खिसकाई है। उसी रात वह अपने भाई काछी और उसके बेटे रेवा के साथ खेत पर गया और सबने मिलकर रातों-रात मेढ़ खोदकर वापस खिसका दी।

सुबह जब परसू को बात पता चली तो वह लाठी लेकर कल्लू के यहां आ धमका। उसने कल्लू की काफी पिटाई की। उसका एक हाथ भी तोड़ दिया। इतने में कोटवार भी वहां पर आ गया। लोगों ने बीच-बचाव किया और बात आगे बढ़ने से रोकी। बाद में काछी और रेवा कल्लू को पास के शहर हरदा ले गये। कोटवार भी साथ गया। उन्होंने अस्पताल में कल्लू की जांच करवाई और पलस्तर चढ़वाया। फिर सब रपट लिखवाने पुलिस थाने गए।

कल्लू की पिटाई

थाने में रपट

थाने में रेवा ने परसू के विरुद्ध रपट लिखवाई। दारोगा ने कोरे कागज़ पर रपट लिखी। यह 'मौके की पहली रपट' (एफ. आई. आर. या फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) थी। रेवा ने उस पर हस्ताक्षर करके दारोगा से कहा- "आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज़ कीजिए, और एक प्रति हमें भी दीजिएगा।" दारोगा ने कहा- "जब थानेदार साहब आयेंगे तभी रजिस्टर में लिख सकते हैं।" तो रेवा, काछी, कल्लू और कोटवार थाने में रुके रहे। थोड़ी देर बाद थानेदार आया। उससे रेवा ने रजिस्टर में रपट दर्ज़ करवाई। कल्लू जाने को तैयार हुआ, पर रेवा ने उसे रोक कर थानेदार से रपट की एक प्रति मांगी। रेवा को पता था कि रपट की प्रति रपट लिखवाने वाले को मिलती है। उसने रपट की एक प्रति ली और फिर सब अपने गांव के लिए निकले।

कल्लू थाने मे रपट लिखवा रहा है

जुर्म की छानबीन

एफ. आई. आर. के आधार पर थानेदार ने दारोगा से छान-बीन करने को कहा। उसी दिन दोपहर को दारोगा कल्लू के गांव पहुंचा। पहले तो उसने कल्लू की चोटें देखीं। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोटें काफी गंभीर हैं। उसने कल्लू के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने सुबह की मारपीट का विवरण दिया। दारोगा को यकीन हो गया कि कल्लू को मारपीट से ही इतनी चोट लगी थी।

वह परसू के पास गया और उसको बताया कि वह उसे "गंभीर चोट पहुंचाने" के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दारोगा उसे अपने साथ हरदा थाने ले गया। वहां उससे पूछताछ की। वह इस बात से मना कर रहा था कि उसने कल्लू की पिटाई की है। थानेदार ने बहुत कहा कि जुर्म कबूल कर लो पर उसने साफ इन्कार कर दिया।

एफ. आई. आर.

थाने में एफ. आई. आर. कोई भी दर्ज़ करा सकता है। यदि पढ़ा-लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर कर के एफ. आई. आर. दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफ. आई. आर. में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना ज़रूरी है। गवाहों के नाम भी एफ. आई. आर. में होने चाहिए। इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर, स्टेशन हाऊस रजिस्टर में दर्ज़ होना चाहिए। जानकारी देने वाले को एफ. आई. आर. की एक प्रति निशुल्क मिलनी चाहिए। यदि कोई थानेदार एफ. आई. आर. नहीं दर्ज़ करता तो रपट देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रपट दर्ज़ करा सकता है- डाक से भी रपट भेजी जा सकती है।

गिरफ्तारी

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय, उसे यह बताना ज़रूरी है कि उसे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि यह उसे नहीं बताया जाता तो उसको यह अधिकार है कि वह यह पूछे और जुर्म बताये जाने पर ही जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताये किसी को गिरफ्तार करना गलत है।

पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके, ताकि वह अपने खिलाफ सबूतो को नष्ट न कर सके और वह दूसरा कोई आपराध न कर सके। यानी गिरफ्तारी सज़ा नही है।

पुलिस थाने में किसी पर भी अपना जुर्म कबूल करने की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो इसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जायेगा जब उसे कचहरी में या मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया जाये। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सज़ा सुना सकता है।

थाने में रपट किस बात की लिखवाई गई?

यदि तुम रपट लिखवाते तो किस तरह लिखवाते? एक रपट लिख कर बताओ।

एफ. आई. आर. दर्ज़ करने वाले को उसकी एक प्रति क्यो लेनी चाहिए - कक्षा मे चर्चा करो।

जुर्म की छानबीन किसने की और किस प्रकार की?

किस को गिरफ्तार किया गया और किस जुर्म के आरोप में?

ज़मानत

थानेदार ने परसू को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाये। थानेदार ने परसू को बताया, "तुम्हे किसी की ज़मानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास ज़मीन-जायदाद है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी ले सकता है। यदि वह तुम्हारी ज़मानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास ही कुछ ज़मीन जायदाद है तो तुम ही बॉण्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाये तुम आओगे, नहीं तो यह जायदाद ज़ब्त कर ली जायेगी"

परसू ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ ज़मीन है। उसने अपने लिए बॉण्ड भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया कि "कल तुम्हें पेशी के लिए कचहरी आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो।"

पहली पेशी

दूसरे दिन पहली श्रेणी के जुड़िशियल मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेशी होने वाली थी। यह कचहरी हरदा में थी। कचहरी के आसपास काफी लोग थे। काले कोट पहने हुए वकील, कई अभियुक्त, (यानी वे लोग जिनके खिलाफ किसी जुर्म की शिकायत दर्ज़ थी), और दूसरे मामलों की पेशी के लिए आए कई लोग। परसू, कल्लू, काछी, परसू का बेटा रामू, थानेदार और दारोगा भी वहां थे। परसू ने अपना वकील कर लिया था। पुलिस की ओर से सरकारी वकील मुकदमा लड़ रहे थे।

ग़ैर ज़मानती जुर्म

परसू तो ज़मानत पर छूट गया पर सभी जुर्म ज़मानती नहीं होते। चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत आदि जुर्मों में गिरफतार लोगों को ज़मानत पर छूटने का अधिकार नहीं है। ऐसे ग़ैर ज़मानती जुर्मों में भी मजिस्ट्रेट को ज़मानत की अर्ज़ी दी जा सकती है। यह फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वह ज़मानत मंजूर करे या इन्कार कर दे।

इस कहानी में परसू का जुर्म ज़मानती था या ग़ैर ज़मानती?

काफी देर के बाद परसू की पेशी की पुकार हुई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने यह इस मुकदमे की पहली पेशी थी। थानेदार ने परसू के वकील को एफ. आई. आर. और पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति दे दी ताकि उसे यह पता रहे कि परसू पर क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। यह भी पता हो कि उसके विरुद्ध क्या जानकारी इकट्ठी की गई है। इन सब बातों को जानकर ही परसू का वकील उसका बचाव कर सकता था।

जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने परसू पर कल्लू को 'गंभीर चोट पहुंचाने' का इल्ज़ाम लगाया। इस जुर्म में सात साल तक की जेल हो सकती है। परसू ने इल्ज़ाम कबूल नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने 15 दिन बाद अगली पेशी की तारीख दी।

गवाह और पेशी

परसू ने अपने पक्ष मे कुछ दोस्तों के नाम गवाहों में दिए थे। कल्लू ने जो रपट थाने में लिखवाई थी, उसमें भी कुछ लोगों के नाम गवाहों में लिखवाए थे। दारोगा ने छानबीन के समय कल्लू के दो पड़ोसियों के नाम लिख लिए थे। इन सब को मजिस्ट्रेट से आदेश मिले कि उन्हें मजिस्ट्रेट की कचहरी में गवाही देने के लिए उपस्थित होना है।

15 दिन बाद जब दूसरी पेशी की तारीख आई तब सब हरदा की कचहरी पहुंचे। पहले सरकार की तरफ की एक गवाह को बुलाया गया। उसने उस दिन की सारी बात बताई। फिर दोनों तरफ के वकीलों ने उससे और पूछताछ की। एसे दो ही गवाहों की गवाही के बाद मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दे दी।

इस तरह हर पेशी में एक दो गवाहों के बयान और पूछताछ होती और फिर अगली पेशी की तारीख मिल जाती। इस तरह पेशियां चलती रहीं। परसू को अपने वकील को फीस देनी पड़ती। साथ में हरदा आने-जाने का खर्चा भी था। जिस दिन पेशी होती, उस दिन खेती का नुकसान भी होता। करीब एक साल तक ये पेशियां चलती रहीं। फिर मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परसू को चार साल की कैद होगी।

परसू के मामले का मुकदमा किस कचहरी में चला?
पहली पेशी में क्या हुआ?
पुलिस की ओर से वकील क्या कहलाता है?

कचहरी

किसी भी केस में गवाहों की बात को सुनना क्यों ज़रूरी है - कक्षा में चर्चा करो।
पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में वकील, मजिस्ट्रेट, गवाह और लिपिक को पहचानो।

सेशन्स कोर्ट में अपील

परसू फैसले से खुश नहीं था। वकील ने बताया, "सेशन्स कोर्ट में अपील की जा सकती है। सेशन्स जज, हरदा के मजिस्ट्रेट से ऊपर होते हैं और मजिस्ट्रेट का फैसला बदल सकते हैं। हो सकता है सेशन्स जज तुम्हें दोषी न ठहराएं या सज़ा कम कर दें।" परसू ने पूछा "सेशन्स कोर्ट कहां है? मुझे अपील करने के लिए क्या करना होगा?" वकील ने कहा- "सेशन्स कोर्ट होशंगाबाद में है। और अपील वगैरह मुझ पर छोड़ दो। बस मेरी फीस देते रहना।" परसू घबरा गया। "होशंगाबाद तो इतनी दूर है। वहां पेशियों में ऐसे जाना पड़े तो हर बार 50 रु. खर्च हो जाएंगे।" वकील ने उसे बताया कि होशंगाबाद में मुकदमा चले तो एकाध बार ही परसू को जाना पड़ेगा। बाकी तो मुकदमे की फाईल से काम चल जाएगा।

तो परसू की ओर से उसके वकील ने होशंगाबाद ज़िले के सेशन्स कोर्ट में अपील कर दी। इसके कारण सेशंस जज ने परसू की सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरन्त जेल नहीं जाना पड़ा।

फिर सेशन्स कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परसू और उसके गवाहों को एक बार बुलाया गया और एक बार कल्लू और उसके गवाहों को, बाकी पेशी तो वकील ने सम्भाली। दो साल बाद सेशन्स जज ने फैसला दिया। उसने परसू की सज़ा कुछ कम कर दी।

जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला ———————
जज बदल सकता है।

उच्च न्यायालय

परसू फैसला सुनकर हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा "क्या ये फैसला भी कहीं बदला जा सकता है?" वकील ने बताया, "हर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय होता है। वह प्रदेश की सबसे बड़ी कचहरी है। किसी भी मुकदमें के फैसले जो कि प्रदेश की किसी भी छोटी कचहरी और सेशन्स कोर्ट में दिए गए हों, वहां पर बदले जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में अभियुक्त या गवाह नहीं बुलाये जाते। वहां पर तो केवल जानकारी की फाईल के आधार पर फैसला होता है। चाहो तो उच्च न्यायालय में भी अपील करें। हो सकता है सज़ा और कम हो जाए।"

परसू ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज़ कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया। लेकिन परसू उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सेशन्स जज ने दी थी। आखिर परसू को जेल जाना ही पड़ा।

दीवानी और फौजदारी मामले

परसू बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा "इतने साल मैं जेल में रहूंगा तो मेरी खेती का क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूं और बात निपट जाए?" वकील ने बताया "ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी। इसलिए यह एक फौजदारी मामला है, यानी ऐसा अपराध जिसमें दंड दिया जा सकता है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना- ये सब फौजदारी मामले हैं। इनमे जुर्म साबित होने पर सज़ा अवश्य मिलेगी। सिर्फ ज़मीन जायदाद के मामलों में सज़ा नहीं होती। ये दीवानी मामले होते हैं।"

"दीवानी मामले क्या होते हैं?" परसू ने पूछा।

वकील ने कहा, "जब भी कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं, या मज़दूर-मालिक के बीच मज़दूरी को लेकर, या किसी के बीच पैसे के लेन-देन या व्यापार के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज़ कराए जाते हैं। जैसे तुम्हारी मेढ़ का झगड़ा था, उसपर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता था। इन में सज़ा तो नहीं होती पर जिस भी पक्ष

को नुकसान सहना पड़ा है या जिसकी सम्पत्ति पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है, उसे उस नुकसान का मुआवज़ा दिया जा सकता है या सम्पत्ति लौटाई जा सकती है। पर तुमने तो मारपीट भी की थी। इसलिए यह फौजदारी मुकदमा बन गया। इसमें तो कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा।"

परसू ने जब कल्लू की मेढ़ खिसकाई थी तो मामला दीवानी था या फौजदारी?

परसू ने जब कल्लू को पीटा तो मामला दीवानी था या फौजदारी?

इतने सारे न्यायालय, और इतना समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में। परसू को हाईकोर्ट का फैसला मिलते-मिलते इतने साल लग गए। दीवानी मामलों में तो कभी 10-15 साल भी लग जाते हैं। कई बार नुकसान का भुक्त भोगी बिना मुआवज़ा पाए ही मर जाता है। ऐसे जानें कितने मुकदमें होते हैं।

****

अपने गुरुजी के साथ इस पाठ के आधार पर मुकदमे का एक नाटक करो। कल्लू, परसू, गवाह, मजिस्ट्रेट और कौन-कौन पात्र होंगे? कहानी को एक बार ध्यान से पढ़ कर सब पात्र चुन लो। वकील और सरकारी वकील को सवाल जवाब ठीक से करने पड़ेंगे। नाटक में मजिस्ट्रेट को अपना फैसला भी सुनाना होगा।

*

सर्वोच्च न्यायालय

परसू की कहानी तो उच्च न्यायालय में ही खत्म हुई। पर पूरे भारत में एक सबसे ऊंची कचहरी भी है। उसे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इस न्यायालय में खास तरह के मामले ही जाते हैं। तो न्यायालयों या कचहरियों का ढांचा इस प्रकार है :–

सर्वोच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

सेशन्स कोर्ट — जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कचहरी (फौजदारी मामलों के लिए)

ज़िला कोर्ट — सिविल जज की कचहरी (दीवानी मामलों के लिए)

अभ्यास के प्रश्न

1. एफ. आई आर. कहां और कब दर्ज़ किया जाता है?
2. गिरफतारी और सज़ा में क्या अंतर है?
3. ज़मानत मिलने से क्या होता है?
4. ज़मानत किस प्रकार दी जाती है?
5. इस मुकदमे में पहली पेशी से लेकर उच्च न्यायालय के फैसले तक क्या हुआ? दस वाक्यों में लिखो।
6. न्यायालय में बहुत लंबे समय तक केस चलने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने विचार लिखो।
7. यदि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी सम्पत्ति के बंटवारे पर झगड़ा हो कि किसका कितना हिस्सा है तो इस मामले को सुलझाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
8. फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अन्तर है?
9. क्या उच्च न्यायालय का दिया गया फैसला ज़िला अदालत या सेशन्स अदालत बदल सकती हैं?
10. सेशन्स अदालत के फैसले से यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है?
11. खाली स्थान भरो–

    इस तरह कचहरियां 4 स्तर की होती हैं। फौजदारी मामलों के लिए पहले स्तर की कचहरी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। इस का फैसला ———— में बदला जा सकता है। इस कचहरी का फैसला ———— में, जिसका फैसला ———— में ही बदला जा सकता है।